OROP - One Rank One Pension

वन रैंक वन पेंशन (OROP)

पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक निर्णय

“आज से पांच साल पहले, भारत ने हमारे महान सैनिकों की भलाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया, जो साहसपूर्वक हमारे राष्ट्र की रक्षा करते हैं। #5YearsOfOROP एक महत्वपूर्ण अवसर है। दशकों तक भारत OROP का इंतजार करता रहा।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ट्वीट 7 नवंबर 2020

विषय - सूची

1. पहले की पेंशन नीति में अंतराल..... 02
2. एक लंबे समय से लंबित मुद्दा..... 03
3. सरकार द्वारा उठाए गए कदम 07
4. OROP लाभ 08
5. वित्तीय लाभ..... 09
6. सुधार से किसे फायदा..... 10
7. OROP मीडिया रिपोर्ट्स..... 12

अध्याय 1

पहले की पेंशन नीति में अंतराल

OROP के कार्यान्वयन से पहले, पेंशन की गणना कर्मियों द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति के समय एक विशेष वेतनमान / वेतन बैंड में निकाले गए वेतन से जुड़ी थी। वेतन आयोगों की सिफारिश पर वेतनमान को उच्चतर पक्ष में संशोधित किया जाता है। वेतनमान के संशोधन के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को पहले से सेवानिवृत्त हुए लोगों की तुलना में अधिक पेंशन मिलती है, इसलिए, अतीत और वर्तमान के सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन में अंतर बना रहता है।

हमारे सैनिक 40 साल तक धैर्यवान रहे। वे कभी अनुशासन से बाहर नहीं रहे। उन्होंने हमेशा व्यवस्था का सम्मान किया है। वे इस योजना की मांग करते रहे और हमारे सैनिक जो हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं, उनसे झूठ बोला गया ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

अध्याय 2

एक लंबे समय से लंबित मुद्दा

पूर्व सैनिक पिछले 40 वर्षों से अधिक से OROP के कार्यान्वयन के लिए आंदोलन कर रहे थे, लेकिन 2015 से पहले इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर पूर्व में विभिन्न समितियों और निकायों द्वारा विचार किया गया। अन्य केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी आम तौर पर इसे स्वीकार्य नहीं पाया गया है । इन समितियों और निकायों की सिफारिशों का सार संक्षेप में है:

तीसरा केंद्रीय वेतन आयोग: इसमें रैंकों के आधार पर 3 से 9 साल तक पेंशन के लिए योग्यता सेवा में वेटेज की सिफारिश की गई थी ।

भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं पर उच्च स्तरीय समिति-1984 (केपी सिंह देव समिति): समिति ने सिफारिश की कि सरकार को विशेष रूप से उस सिद्धांत के आलोक में वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर विचार करना चाहिए, जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन के संबंध में पहले ही स्थापित हो चुका है ।

चौथा केंद्रीय वेतन आयोग: आयोग ने कहा कि पेंशन के समानीकरण के सुझाव को स्वीकार करना मुश्किल है । इसके अलावा, इसमें विभिन्न श्रेणियों के पेंशनभोगियों को कोई समान

लाभ प्रदान किए बिना काफी प्रशासनिक और लेखांकन कार्य शामिल होगा ।

उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति-1991 (शरद पवार समिति): समिति द्वारा वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर कोई विशेष सिफारिश नहीं दी गई।

पांचवां केंद्रीय वेतन आयोग: आयोग ने यह कहते हुए वन रैंक वन पेंशन देने की सिफारिश नहीं की, कि प्रत्येक वेतन आयोग वेतन में कुछ लाभ देता है जो मुद्रास्फीति के प्रभाव से अधिक होता है । ऐसे लाभ पेंशनर्स को देने की आवश्यकता नहीं महसूस की गयी।

रक्षा मंत्री की समिति की रिपोर्ट (जून 2003): रक्षा मंत्री की समिति ने इस मुद्दे को सरकार द्वारा गठित अंतर मंत्रालयी समिति द्वारा विचार करने के लिए छोड़ दिया।

अंतर-मंत्रालयी समिति: वन रैंक वन पेंशन की मांग पर विचार करने के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 27-2-2003 को एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया था। समिति ने 24-9-2004 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में वन रैंक वन पेंशन प्रदान करने का पक्ष नहीं लिया, बल्कि PBOR के लिए 01.01.1996 से प्रभावी संशोधित पे स्केल के अधिकतम पर आधारित संशोधित एकरूपता की संस्तुति की ।

रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति: समिति ने अपनी 20वीं और 21वीं रिपोर्ट में सशस्त्र बलों के कार्मिकों को वन रैंक वन पेंशन प्रदान करने के लिए अपनी पूर्व सिफारिशों को दोहराया।

वन रैंक वन पेंशन पर कानून मंत्रालय के विचार: वर्तमान प्रणाली न्यायिक जांच की कसौटी पर खरी उतरी है । वन रैंक वन पेंशन के लिए भी ऐसा नहीं कहा जा सकता और उसी की कानूनी व्यवहार्यता न्यायनिर्णयन के लिए खुली है । इसके अलावा, वित्तीय पहलू भी हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

मंत्रियों का समूह: इस मांग पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा जनवरी, 2005 में मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया था। GOM ने OROP की सिफारिश नहीं की थी।

छठा केंद्रीय वेतन आयोग: छठे वेतन आयोग ने भी वन रैंक वन पेंशन की सिफारिश नहीं की ।

कैबिनेट सचिव समिति, 2009: समिति ने इस मांग और अन्य संबंधित मुद्दों पर विचार किया, लेकिन OROP की सिफारिश नहीं की। हालांकि, इसने अतीत और वर्तमान पेंशनभोगियों के बीच के अंतर को कम करने के उद्देश्य से सात सिफारिशें कीं

स्थायी समिति: स्थायी समिति ने अपनी 7वीं और 9वीं (15वीं लोकसभा) रिपोर्ट में वन रैंक वन पेंशन पर फिर से अपना रुख दोहराया।

राज्यसभा याचिका समिति: राज्यसभा याचिका समिति ने अपनी 142 वीं रिपोर्ट में कहा कि सरकार को रक्षा बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू करनी चाहिए।

कैबिनेट सचिव समिति (2012): समिति ने OROP के कार्यान्वयन की सिफारिश नहीं की, हालांकि, इसने पिछले सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन बढ़ाने के लिए विभिन्न अन्य तरीकों की सिफारिश की ।

मैंने वन रैंक वन पेंशन के लिए आपके समक्ष एक संकल्प किया था। आपको पिछली सरकारों के कार्यकाल में काफी संघर्ष करना पड़ा और आंदोलन शुरू करने पड़े। राष्ट्र उसी का गवाह है। अब राष्ट्र और आप सभी इस बात के गवाह हैं कि न केवल वन रैंक वन पेंशन लागू की गई है बल्कि हमारी सरकार द्वारा अब तक 35 हजार करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। सरकार का पेंशन बजट 44 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 1 लाख 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

अध्याय 3

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को स्वीकार कर लिया। 16 वीं लोकसभा के गठन के बाद 09.06.2014 को संसद के दोनों सदनों के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका उल्लेख किया गया था और OROP के कार्यान्वयन के लिए बजट 2014-15 में ₹ 1000 करोड़ का आवंटन प्रदान किया गया था।

रक्षा बलों के लिए OROP को लागू करने के सरकार के फैसले के अनुसरण में, इस उद्देश्य के लिए इस मंत्रालय में बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी। सरकार ने बड़े पैमाने पर विशेषज्ञों और पूर्व सैनिकों से परामर्श किया। रक्षा पेंशन की व्यापकता और जटिलता को ध्यान में रखते हुए OROP के कार्यान्वयन पर सरकारी आदेश जारी करने से पहले विशेषज्ञों और पूर्व सैनिकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया।

पूर्व सैनिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए भारत सरकार ने भारी वित्तीय बोझ के बावजूद 7.11.2015 को आदेश जारी कर OROP को लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। 30.06.2014 तक सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के कार्मिकों को इस आदेश के तहत कवर किया गया था।

अध्याय 4

OROP लाभ

OROP का तात्पर्य यह है कि एक ही रैंक में सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तारीख की परवाह किए बिना सेवा की समान लंबाई के होने पर समान पेंशन का भुगतान किया जाए। इस प्रकार, OROP का तात्पर्य समय-समय पर वर्तमान पेंशनभोगियों और पिछले पेंशनभोगियों की पेंशन की दर के बीच के अंतर को पाटने से है।

OROP की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

I. पूर्व पेंशनभोगियों का पेंशन कैलेंडर वर्ष 2013 के सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन के आधार पर फिर से तय किया जाएगा और यह लाभ 01.07.2014 से प्रभावी होगा।

II. 2013 में एक ही रैंक में सेवानिवृत्त कर्मियों के न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत और समान सेवा अवधि के साथ सभी पेंशनभोगियों के लिए पेंशन फिर से तय किया जाएगा।

III. औसत से अधिक पेंशन पाने वालो का पेंशन इस आधार पर कम नहीं किया जायेगा।

IV. बकाया राशि का भुगतान चार समान छमाही किस्तों में किया जाएगा। तथापि, विशेष/उदारीकृत पारिवारिक पेंशन और गैलेंट्री पुरस्कार विजेताओं सहित सभी पारिवारिक पेंशनभोगियों को एक किस्त में बकाया भुगतान किया जाएगा।

V. पेंशन का निर्धारण हर 5 साल में किया जाएगा।

अध्याय 5

वित्तीय लाभ

OROP के तहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार ने पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संशोधन के लिए दरों को दर्शाते हुए 101 पेंशन तालिकाओं के साथ दिनांक 03.02.2016 को विस्तृत आदेश जारी की।

1.7.2014 से पहले के सभी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की मौजूदा पेंशन को वास्तविक अर्हक सेवा के संदर्भ में जैसा कि तालिका में दिखाया गया है, रैंक (और JCO/ORs के मामले में समूह) के लिए लागू तालिका के अनुसार प्रत्येक रैंक के लिए समय-समय पर लागू अधिकतम टर्म्स ऑफ़ इंगेजमेंट की शर्त के साथ, बढ़ाया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) में समाहित सेवाकर्मी जिन्होंने पेंशन के 100% कम्यूटेशन का विकल्प चुना था, का पेंशन भी पेंशनभोगियों की नियमित श्रेणी के लिए निर्धारित रैंक की संशोधित पेंशन के संदर्भ में, संशोधित किया गया।

संबंधित आयु (80 वर्ष और अधिक) प्राप्त करने पर वृद्धावस्था पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए लागू अतिरिक्त पेंशन को भी पेंशन संवितरण एजेंसीज (PDA) द्वारा 1.7.2014 या पेंशनभोगी के 80 वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त करने की तारीख, जो भी बाद में हो से बढ़ाया गया ।

OROP के लागू होने पर बकाया राशि पर होने वाला वास्तविक व्यय का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	OROP बकाया के कारण संवितरित राशि
2015-16	₹ 2,861.55 करोड़
2016-17	₹ 5,370.61 करोड़
2017-18	₹ 2,563.24 करोड़
कुल	₹ 10,795.40 करोड़

अध्याय 6

सुधार से किसे फायदा

30.06.2014 तक सेवानिवृत्त रक्षा बल पेंशन भोगी और उसके पूर्व में पारिवारिक पेंशनभोगी OROP से लाभान्वित हुए। ओआरओपी लागू होने के कारण 20,60,220 रक्षा बलों के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को बकाया के रूप में ₹ 10,7954 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

OROP के कारण वार्षिक व्यय लगभग ₹ 7,123 करोड़ है। करीब छह वर्षों के लिए 01.07.2014 से शुरू होकर कुल व्यय ₹ 42,740 करोड़ से अधिक है।

OROP लाभार्थियों को 7 वें CPC के तहत 2.57 के गुणन के आधार पर भी पेंशन निर्धारण का लाभ मिला ।

OROP
UNWAVERING
COMMITMENT FOR WELFARE
OF EX-SERVICEMEN (1/2)
The long pending demand for OROP implemented after four decades
The historic decision to implement OROP was taken on 7th Nov. 2015, benefit effective from 1st July 2014
Armed Forces Personnel retired up to 30th June 2014 were covered
Uniform pension to those retiring in the same rank with the same length of service regardless of their date of retirement

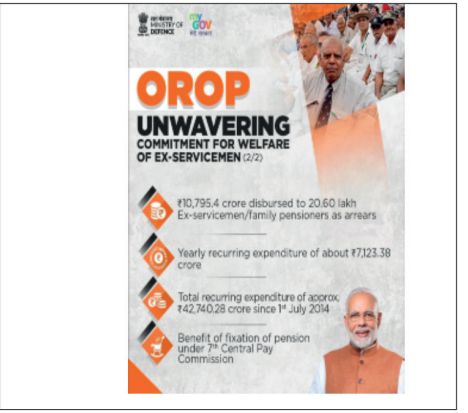
OROP
UNWAVERING
COMMITMENT FOR WELFARE
OF EX-SERVICEMEN (2/2)
₹10,795.4 crore disbursed to 20.60 lakh Ex-servicemen/family pensioners as arrears
Yearly recurring expenditure of about ₹7,123.38 crore
Total recurring expenditure of approx. ₹42,740.28 crore since 1st July 2014
Benefit of fixation of pension under 7th Central Pay Commission

Honouring Veterans,
Keeping the 'Josh' High
Demand for One Rank One Pension fulfilled that had been pending for over 4 decades
Over ₹42,740 Crore already disbursed to Ex-Servicemen
my GOV

अध्याय 7

OROP : मीडिया रिपोर्ट्स

यहाँ OROP की सफलता की कुछ झलकियाँ हैं।

THE ECONOMIC TIMES | News

English Edition ▾ | E-Paper

Subscribe | Sign In

Subscribe @ ₹ 148/month

Home | ETPrime | Markets | News | Industry | RISE | Politics | Wealth | MF | Tech | Jobs | Opinion | NRI | Panache | ET NOW | More ▾

Morning Brief Podcast | Economy ▾ | Industry | Politics and Nation | Company ▾ | Defence ▾ | International ▾ | ET Evoke | Elections ▾ | ET Explains | More ▾

Business News › News › Defence › Govt disbursed over Rs 42,700 crore to 20.6 lakh ex-servicemen under OROP in 5 years

Govt disbursed over Rs 42,700 crore to 20.6 lakh ex-servicemen under OROP in 5 years

PTI • Last Updated: Nov 08, 2020, 09:44 AM IST

SHARE | FONT SIZE | SAVE | PRINT | COMMENT 77

Synopsis
Under the OROP scheme, uniform pension is paid to defence personnel who retire in the same rank with the same length of service, irrespective of their date of retirement.

The ministry stated that Rs 10,795 crore has been disbursed to 20.6 lakh defence force pensioners or family pensioners as arrears due to

NEW DELHI: The **central government** has disbursed more than Rs 42,700 crore to 20.6 lakh retired defence personnel under the One Rank One **Pension** (**OROP**) scheme, which was notified five years ago, **the Defence Ministry** said on Friday.

Under the **OROP scheme**, uniform

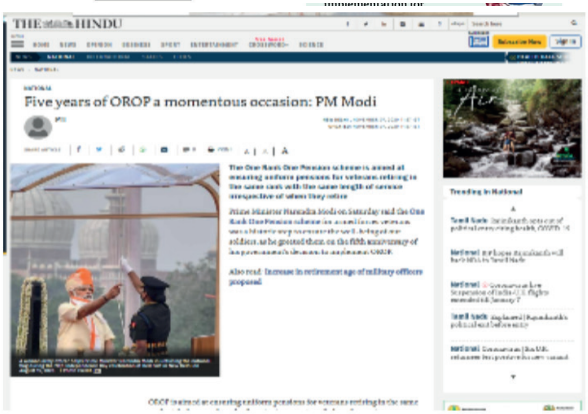
THE HINDU

Five years of OROP a momentous occasion: PM Modi

Also read: Increase in retirement age of military officers proposed

25 फरवरी 2019 को राष्ट्र को नेशनल वॉर मेमोरियल के समर्पण के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार